



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल खजौली।
Email ID :- wkcdkhajauli@gmail.com



भाड़े पर वाहन लेने हेतु अतिअल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)-01/2026-27

पत्रांक654/

खजौली,

दिनांक.../5/05/2026

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली के अर्न्तगत प्रमण्डलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण, नहरों के निरीक्षण एवं उच्चधिकारियों की बैठकों में भाग लेने एवं खरीफ अवधि हेतु अवर प्रमंडल पदाधिकारियों के उपयोगार्थ भाड़े पर एक अदद बोलेरो के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफे में दिनांक-26.05.2026 को अपराहन 03.00 बजे तक पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 03.30 बजे अपराहन में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि :- दिनांक:-15.05.2026.

- कोटेशन जमा करने की तिथि :- दिनांक:-26.05.2026 को 03:00 बजे अपराहन तक।
कोटेशन जमा करने का स्थान :- कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, खजौली।
- कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक:-26.05.2026 को 03:30 बजे अपराहन तक।
विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, खजौली।

नियम एवं शर्तें निम्नवत् है:-

1. वाहन 01 जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक भाड़े पर रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा किसी निजी कार्य या व्यवसायिक कार्य में नहीं किया जायेगा।
2. वाहन का मॉडल 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिये एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म के द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, पैन कार्ड, प्रदूषण प्रमाण पत्र, एवं अन्य दस्तावेज मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबाब देही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का ईंधन सहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। एकरारनामा 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
11. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
12. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
13. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
14. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता उक्त क्रमांक 01 से 15 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित स्वं अभिप्रमाणित शपथ पत्र एवं क्रमांक 05 एवं 06 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 26.05.2026 तक कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3:00 बजे अपराहन तक समर्पित करेंगे, जिसे दिनांक 26.05.2026 के 3:30 बजे अपराहन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली के कार्यालय में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा

प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से ज्यादा समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जायेगा, जिसकी सूचना (लॉटरी की तिथि) आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये Whatsapp Number/Email के माध्यम से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 के कागजात एवं स्वं अभिप्रमाणित शपथपत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष जानकारी कार्यालय में संपर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।

15. कोटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्न प्रपत्र में देना होगा।

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	ईधन रहित मासिक भाड़ा

ह०/-

कार्यपालक अभियंता

पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, खजौली।

पत्रांक 654/

खजौली,

दिनांक 15/05/2026

प्रतिलिपि:-सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं हिन्दी में एक प्रति (सॉफ्ट कॉपी में) विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

15/05/26

कार्यपालक अभियंता

पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, खजौली।

15/05/26

15/05/26